भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

29.07.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1623 का उत्तर

यात्री सुरक्षा और यात्रा के दौरान सुरक्षा

1623. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 से 2026 के बीच रेलवे परिसर में दर्ज शारीरिक हमले और हिंसा की घटनाओं की वर्ष-वार और मंडल-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने विशेष रूप से जून 2026 की उस घटना, जिसमें मुंबई लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में दरवाजा बंद करने के विवाद के बाद एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, के आलोक में स्टेशन प्लेटफॉर्मों और कोच की सुरक्षा संपरीक्षा कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भीड़भाड़ वाले परिवहन माहौल में मामूली विवादों से उपजी हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति का समाधान करने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, राज्य सरकारें रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

राज्य सरकारें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखती हैं।

रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलवे में दर्ज यात्रियों के साथ हुए अपराध की घटनाओं की संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा राज्यवार प्रकाशित की जाती हैं।

23 जून 2026 को, अंधेरी स्टेशन से गाड़ी संख्या 90963 (चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल) के प्रस्थान करने के तुरंत बाद ही प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बे में चाकू मारने की घटना रिपोर्ट की गई थी। यह घटना दो यात्रियों के बीच बारिश के कारण कोच के दरवाजे बंद करने को लेकर हुए विवाद के बाद उत्पन्न हुई कहासुनी का परिणाम था। इस घटना के संबंध में, जीआरपी बोरीवली ने बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अपराध संख्या 630/2026 दर्ज की। तत्पश्चात् जीआरपी बोरीवली द्वारा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया।

रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसर में यात्रा करने वाले यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

i. संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव, रेल मार्ग रक्षण दल में पुरुष एवं महिला रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों की उपयुक्त संयुक्त संख्या की तैनाती सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं।
ii. यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।
iii. 'रेल मदद' भारतीय रेल की शिकायत निवारण प्रणाली है जो यात्रियों को शिकायतों, सहायता और पूछताछ के लिए एकीकृत मंच प्रदान करती हैं। रेल मदद में यात्री हेल्पलाइन नंबर-139, रेल मदद वेब, ऐप और एसएमएस जैसे विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। रेल मदद एप ने यात्रियों को उनकी शिकायतों के समाधान पर प्रतिक्रिया साझा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है
iv. जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को उनकी संरक्षा और सुरक्षा के पूर्वोपाए के बारे में लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

v. रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेल यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है।

vi. संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आई.एस.एस.) स्थापित की गई है, जिसमें विश्लेषणात्मक विशेषताओं सहित क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (सी.सी.टी.वी.) निगरानी प्रणाली, अभिगम नियंत्रण, व्यक्तिगत सामान की स्क्रीनिंग प्रणाली, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एच.एच.एम.डी.), बम संसूचन प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी तथा वाहन स्कैनिंग प्रणाली (यू.वी.एस.एस.) शामिल हैं। विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में स्निफ़र डॉग्स की भी तैनाती की गई है।

vii. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के विरुद्ध संगत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।

viii. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

ix. रेल मंत्रालय एवं राज्यों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ जी.आर.पी. प्रमुखों के द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
